भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3447

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

सेनिटरी नैपकिन पर जीएसटी

†3447. श्री रितेश पाण्डेयः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेनिटरी नैपकिनों पर 0 प्रतिशत जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि 0 प्रतिशत जीएसटी दर ने सेनिटरी नैपकिन निर्माताओं की उत्पादन लागत को बढ़ा दिया है और आयात की तुलना में उनकी प्रतिस्पर्ध को कम कर दिया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार द्वारा किन उपायों की योजना बनाई गई है और क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्यमंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): दिनांक 21.07.2018 को हुई जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक की सिफारिशों के आधार पर सेनिटरी नैपकिन्स पर जीएसटी की दर को 12% से कम करके शून्य कर दिया गया था। कुछ मामलों में जिसमें कि इस लाभ को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचने दिया गया था उनमें राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण के द्वारा सीजीएसटी रूल्स, 2017 के नियम 133 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी।
(ख): सेनिटरी नैपकिन्स पर जीएसटी की दर को इसलिए कम कर दिया गया था कि सेनिटरी नैपकिन्स की कीमत कम हो सके और उससे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जा सके।
(ग): उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

*****